

युवाओं के सपनों की हत्या हो रही है : दीपक प्रकाश

परीक्षा पत्र लीक करना एक राज्यीय अपराध है, इसकी जांच सीधीआइ से हो

















आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। झारखंड प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह राजसभा सांसद दीपक प्रकाश ने 11वीं जेएसएससी परीक्षा के प्रश्न पत्र को लीक मामले में राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जो कहा था कि मेरी सरकार हेमंत सरकार की पार्टी दू है, वह सत्य होता हुआ प्रतीत हो रहा है। जिस प्रकार से हेमंत सरकार में जेएसएससी में विनोद सिंह नामक दलाल के साथ मिलकर राज्य की नौकरी को बेचने का काम किया था। आज उसी कार्य को वर्तमान राज्य सरकार के मुख्यांगे अपराध रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र एक राज्यीय अपराध है। राज्य सरकार इस मामले की जांच सीधीआइ से कराये ताकि दोषियों को कड़ी सजा मिल सके।

युवाओं के भविष्य से खिलवाड़: धर्मद्वंद्व तिवारी

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। भारतीय जनतंत्र मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष धर्मद्वंद्व तिवारी ने कहा कि जेएसएससी के प्रश्न पत्र लीक होना दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्यहित में सरकार और सरकारी तंत्र कार्य नहीं कर पाए रहे हैं। यहाँ के युवाओं की मेहनत, सपना, भविष्य और परिजनों की भावानाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार को कड़ी



संपादकीय

सीएए के निहितार्थ का आकलन

ना गरिका संशोधन अधिनियम (सीएए) के कार्यान्वयन की सरकार की धैर्यों ने एक बार फिर भारत की धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों के बरे में गंभीर चर्चा शुरू कर दी है। कानून के कार्यान्वयन का समय, आम चुनावों से ठीक पहले और रमजान की शुरूआत में, सरकार की मंग्ल पर सवाल उठाता है। कई लोगों ने इसे मतदाताओं का धृतीकरण करने और चुनावी बांड योजना की जांच जैसे अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के कदम के रूप में देखा है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 19 मार्च को सीएए नियमों के कार्यान्वयन पर रोक लाना की मांग लानी याचिकाओं पर सुनवाई पर रोक लाने के लिए सहमत हो गया है। सीएए को चुनौती देने वाली लगभग 200 याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित हैं और उन पर अधीन तक विवार नहीं किया गया है।

कानून, जो 2019 में पारित होने के बाद से विवादस्पद रहा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित पड़ोसी देशों के शरणार्थियों को शोषण नागरिकता प्रदान करता है लेकिन मुसलमानों को बाहर करता है। इस संशोधन से पहले, उचित दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश करने वाले अधिकारी को अवैध प्रवासी माना जाता था और उनके पास नागरिकता का कोई स्पष्ट रस्ता नहीं था, जब तक कि दीर्घकालिक वीजा के माध्यम से उनके प्रवास को नियमित नहीं किया जाता। हालांकि, सीएए इस नियम में संशोधन करता है, मुसलमानों को छोड़कर, 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले प्रताड़ित हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाईयों को नागरिकता प्रदान करता है।

नियम में संशोधन करता है, मुसलमानों को छोड़कर, 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले प्रताड़ित हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाईयों को नागरिकता प्रदान करता है। इस कानून को विभाजन की गलतियों के सुधार के रूप में तैयार किया गया है, समर्थकों का तर्क है कि मुसलमानों को ऐसे प्रायश्चित्त की आवश्यकता नहीं है वर्कि वे सूखीबद्ध देशों में सताएं गए, अल्पसंख्यक नहीं हैं। हालांकि, अलोचकों का विवाज है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव करता है, जिसमें नागरिकता के लिए बान्दरड के रूप में धर्म का उल्लेख नहीं है। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था, जिसमें धार्मिक तटस्थला के प्रति राज्य की प्रतिवेदन पर जोर दिया गया था। सीएए का कुछ धार्मिक समूहों के प्रति अधिनियम व्यवहार भारत के धर्मनिरपेक्ष आदाशों को परेशन करता है। इसके अतिरिक्त, यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदान समानता के अधिकार को कमाऊं करता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम राष्ट्रीय में अन्वर जिस्टर (एनआरसी) से भी जुड़ा है, जिसका उद्देश्य असम से अवैध आप्रवासियों, विशेषकर मुसलमानों की पहचान करना और उन्हें निर्वासित करना है।

अभिमत आजाद सिपाही

सरकारी केस को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि व्हीलचेयर तक सीमित एक दिव्यांग प्रोफेसर पर यूपीए के तहत लगाये गये गंभीर आपोप, कानून की नजर में सवित नहीं होते हैं। कोर्ट का यह विलिंग फैसला कानूनी मापदंडों और प्रमाणों पर आयातित है, जिसका स्वागत है। इस ऐतिहासिक न्यायिक नियंत्रण में यह बताया गया है कि कानून की नजर में राजनीतिक सिद्धांतों और अधीन तक विवाद से रिहाई मिलती है।

सरकारी केस को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि व्हीलचेयर तक सीमित एक दिव्यांग प्रोफेसर पर यूपीए के तहत लगाये गये गंभीर आपोप, कानून की नजर में सवित नहीं होते हैं। कोर्ट का यह विलिंग फैसले के सबके लिए बहारी यादों के हाशिंग पर धकेल दिया जायेगा, ताकि वह समय के साथ भला दिए जायें, या फिर एक अंतहीन न्याय की यात्रा में परिवर्तनकारी क्षण का काम करेगा, एक महत्वपूर्ण सवाल है।

अश्वनी कुमार

7 मार्च को प्रो जीएन साईंबाबा ने 10 वर्ष तक जेल में अंधेरी रातें कट कर, आजादी के उजाले में पुँज़: कदम रखा। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के नायापुर बैच के उस नियम पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है, जिसके कारण इंकारी के बाद से रिहाई मिलती है।

सरकारी केस को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि व्हीलचेयर तक सीमित एक दिव्यांग प्रोफेसर पर यूपीए के तहत लगाये गये गंभीर आपोप, कानून की नजर में सवित नहीं होते हैं। कोर्ट का यह विलिंग फैसले के सबके लिए बहारी यादों के हाशिंग पर धकेल दिया जायेगा, ताकि वह समय के साथ भला दिए जायें, या फिर एक अंतहीन न्याय की यात्रा में परिवर्तनकारी क्षण का काम करेगा, एक महत्वपूर्ण सवाल है।

मामले में सुप्रीम कोर्ट का

आदेश, जिसमें प्रोफेसर

साईंबाबा को हाईकोर्ट द्वारा दी गयी रिहाई को छुट्टी के दिन खास सुनवाई करके रद्द कर दिया गया था, जिसके अधीन चिंता का विषय एक गृहिणी को व्यक्तिगत व्यक्तियों को व्यक्तिगत व्यक्तियों के बाद सकता है। इस दिव्यांग, जो बिना सहायता के अपनी नियमित व्यावहारिक और अधिकारिक अवैधति के बिना व्यक्तिगत व्यक्तियों के बाद सकता है।

शारीरिक, आर्थिक और भावनात्मक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों को असहनीय प्रताड़ित, हमारी न्याय प्रणाली की कथियों को देखने के लिए और समाज के अनेक अधिकारों को अवैध करते हैं। इसके अधीन चिंता का विषय एक गृहिणी को व्यक्तिगत व्यक्तियों के बाद सकता है। इस दिव्यांग, जो बिना सहायता के अपनी नियमित व्यावहारिक और अधिकारिक अवैधति के बिना व्यक्तिगत व्यक्तियों के बाद सकता है।

परख भी हुई है। महाराष्ट्र सरकार की अपील को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने माना कि नक्सल पिलासफी पढ़ने वाले और नक्सल सोच से सहानुभूत रखने वाले किसी व्यक्ति पर विषय इस आधार पर यूपीए के तहत आपाधिक प्रक्रिया अपेक्षित है। केस में अधियोक्ता पर यह दिलीप किंवदं एक गृहिणी की प्रक्रियात्मक व्यक्तियों की अधिकारिक पुष्टि नहीं होती है।

1. क्या देशवासियों को ऐसी कानूनी सांस्कृतिक व्यक्तियों से विवरण देना करता है? 2. क्या देशवासियों को ऐसी कानूनी सांस्कृतिक व्यक्तियों से विवरण देना करता है? 3. क्या कानून एवं न्याय के परिवर्तन के बाद सकता है? 4. क्या नियोग एवं व्यक्तियों के बाद सकता है? 5. क्या न्याय के अपनी नियमित व्यक्तियों को अवैधति के बिना व्यक्तिगत व्यक्तियों के बाद सकता है? 6. क्या कठोर आपाधिक अवैधति को तहत बिना उचित जांच और पर्याप्त प्रमाणों के नायरिकों को बहुत अनेक गृहिणी को व्यक्तिगत व्यक्तियों के बाद सकता है?

शारीरिक, आर्थिक और भावनात्मक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों को असहनीय प्रताड़ित, हमारी न्याय प्रणाली की कथियों को देखने के लिए और समाज के अनेक अधिकारों को अवैध करते हैं। इसके अधीन चिंता का विषय एक गृहिणी को व्यक्तिगत व्यक्तियों के बाद सकता है। इस दिव्यांग, जो बिना सहायता के अपनी नियमित व्यावहारिक और अधिकारिक अवैधति के बिना व्यक्तिगत व्यक्तियों के बाद सकता है।

परख भी हुई है। महाराष्ट्र सरकार की अपील को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने माना कि नक्सल पिलासफी पढ़ने वाले और नक्सल सोच से सहानुभूत रखने वाले किसी व्यक्ति पर विषय इस आधार पर यूपीए के तहत आपाधिक प्रक्रिया अपेक्षित है। केस में अधियोक्ता पर यह दिलीप किंवदं एक गृहिणी की प्रक्रियात्मक व्यक्तियों की अधिकारिक पुष्टि नहीं होती है।

1. क्या देशवासियों को ऐसी कानूनी सांस्कृतिक व्यक्तियों से विवरण देना करता है? 2. क्या देशवासियों को ऐसी कानूनी सांस्कृतिक व्यक्तियों से विवरण देना करता है? 3. क्या कानून एवं न्याय के परिवर्तन के बाद सकता है? 4. क्या नियोग एवं व्यक्तियों के बाद सकता है? 5. क्या न्याय के अपनी नियमित व्यक्तियों को अवैधति के बिना व्यक्तिगत व्यक्तियों के बाद सकता है? 6. क्या कठोर आपाधिक अवैधति को तहत बिना उचित जांच और पर्याप्त प्रमाणों के नायरिकों को बहुत अनेक गृहिणी को व्यक्तिगत व्यक्तियों के बाद सकता है?

शारीरिक, आर्थिक और भावनात्मक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों को असहनीय प्रताड़ित, हमारी न्याय प्रणाली की कथियों को देखने के लिए और समाज के अनेक अधिकारों को अवैध करते हैं। इसके अधीन चिंता का विषय एक गृहिणी को व्यक्तिगत व्यक्तियों के बाद सकता है। इस दिव्यांग, जो बिना सहायता के अपनी नियमित व्यावहारिक और अधिकारिक अवैधति के बिना व्यक्तिगत व्यक्तियों के बाद सकता है।

परख भी हुई है। महाराष्ट्र सरकार की अपील को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने माना कि नक्सल पिलासफी पढ़ने वाले और नक्सल सोच से सहानुभूत रखने वाले किसी व्यक्ति पर विषय इस आधार पर यूपीए के तहत आपाधिक प्रक्रिया अपेक्षित है। केस में अधियोक्ता पर यह दिलीप किंवदं एक गृहिणी की प्रक्रियात्मक व्यक्तियों की अधिकारिक पुष्टि नहीं होती है।

1. क्या देशवासियों को ऐसी कानूनी सांस्कृतिक व्यक्तियों से विवरण देना करता है? 2. क्या देशवासियों को ऐसी कानूनी सांस्कृतिक व्यक्तियों से विवरण देना करता है? 3. क्या कानून एवं न्याय के परिवर्तन के बाद सकता है? 4. क्या नियोग एवं व्यक्तियों के बाद सकता है? 5. क

चूंग रील्स

इटली बोला-यूक्रेन में नाटो सैनिक भेजे तो विश्व युद्ध होगा

इटली ने चेतावनी दी है कि अगर नाटो ने अपने सैनिक यूक्रेन भेजे तो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जायेगा। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मुझे नहीं लाता है कि नाटो को अपने यूक्रेन भेजने चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ये बड़ी गलती होगी। हम यूक्रेन की इटनी मदद करनी चाहिए, जिससे वो अपनी रक्षा कर सके। यूक्रेन में घुसपातर रस्स के खिलाफ लड़ने का मतलब तीसरा विश्व युद्ध को ज्ञापना देना होगा। इटली के विदेश मंत्री का कर्मने उस समय आया है जब प्रांत के राष्ट्रपति ने यूक्रेन में सैनिक उत्तराने की बात की थी।

अपराध शाखा की हिरासत में इडी के 2 फर्जी अधिकारी

आजाद सिपाही संवाददाता

भुवनेश्वर। क्राइम ब्रांच की हिरासत में फर्जी इडी अधिकारी आये हैं। दोनों आरोपी ढेंगनाल दोलमंडप साही के तारिखीसेन महापात्र और ब्रह्मशक्ति महापात्र हैं। शिक्षाकार्य के अनुसार दोनों आरोपी भाइयों ने इडी अधिकारी बन कर 300 सरकारी अधिकारियों से लाखों रुपये ठंगे। वे राज्य में और राज्य के बाहर लोगों के घरों पर इडी द्वारा छपे मारे जा रहे थे, वे गलत जांच कर रही थीं, वह उन्हें झुटे मामले देबदत महंत की शिक्षाकार्य के बाद अपराध शाखा द्वारा उनकी जांच दर्ज करने की धमकी देकर उनसे



पैसे वसूलता था।

छत्तीपुर के उप-कलेक्टर देबदत महंत की शिक्षाकार्य के बाद अपराध शाखा द्वारा उनकी जांच लिया है।

की गयी थीं। वे ज्ञानखण्ड के रांची में रहते थे और सदैह से बचने के लिए एक एनजीओ चलाते थे।

पुलिस ने पाया है कि उसके फोन पे के मायम से 16 लाख रुपये से अधिक का लेन-देन किया गया था। वह पैसे लेने के बाद गलत विलयनेस रिपोर्ट भी देते थे। उनके पास से डेस्कटॉप, मोबाइल, बैंक पासवर्क, नकली पर्याप्त पत्र और 17 एटीएस कार्ड जब लिये गये। एस्ट्रीएफ ने दोनों भाइयों को गिरफतार कर दिया है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा

CHIEF ELECTORAL OFFICER, ODISHA



आजाद सिपाही संवाददाता

भुवनेश्वर। भारत के चुनाव आयोग ने आज राज्य में 21 लोकसभा और 147 विधानसभाओं के लिए एक साथ आप चुनावों की तारीखों की घोषणा की। इसके साथ ही पूरे देश में आदर्श आचार सहित चुनाव कराने के लिए सभी राजनीतिक दल राज्य में स्वच्छ, मुक्त, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा और आदर्श आचार सहित चुनाव का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया। श्री धल ने आशा व्यक्त की कि सभी राजनीतिक दल राज्य में स्वच्छ, मुक्त, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए प्रतिबद्ध दिखायें।

राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा और आदर्श आचार सहित चुनाव का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया। श्री धल ने आशा व्यक्त की कि सभी राजनीतिक दल राज्य में स्वच्छ, मुक्त, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए प्रतिबद्ध दिखायें।

ओडिशा बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास मुहर के लिए जल्द भेजी जायेगी

आजाद सिपाही संवाददाता

भुवनेश्वर। ओडिशा भाजपा ने प्रदेश में चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा की भुवनेश्वर प्रदेश कार्यालय में हुई चुनाव समिति की बैठक में संभावित उम्मीदवारों की सूची तय की गयी है। संभावित उम्मीदवारों की सूची सभी 147 विधानसभा, 21 लोकसभा के लिए निर्धारित की गयी है। संभावित उम्मीदवारों की यह सूची क्रेडिट बोर्ड को भेजी जायेगी।



कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं को लेकर चुनाव कमेटी की बैठक संपन्न हो गयी है। पहले राज्य को कमेटी की बैठक हुई। इसके बाद चुनाव कमेटी की बैठक हुई और बैठक में 2024 चुनाव पर फोकस रहा।

चुनाव पर हुई चर्चा : सांसद

राज्य भाजपा कार्यालय में आम चुनाव को लेकर चल रही बैठक के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा सांसद प्रताप गांगड़ी ने तैयार किए जाने वाले ताकि इसके लिए विस्तृत चर्चा की जाए।

आयी है। बैठक में सोनी सरकार की 10 वर्ष की सफलता को घर-घर पहुंचाने, लोगों का मतामत संग्रह करने का निर्णय लिया गया है।

कहा है कि ओडिशा भाजपा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। पार्टी पूरे दम से चुनाव लड़ रही। राज्य भाजपा कार्यालय में रिवायार को वरिष्ठ नेताओं को लेकर एक बैठक हुई। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। चुनाव के लिए राज्य के सभी 147 विधानसभा एवं 21 लोकसभा सोट पक्से उम्मीदवार बनाया जाए एवं किस तरह कार्यतात्मकों को संषुष्ट रखा जाए, इस पर विस्तृत चर्चा होने वाली है।

ओलंपिक संघ को 40 साल के लिए जमीन मिली लीज पर : ओडिशा ओलंपिक संघ को 40 साल के लिए यह जमीन लीज में प्रदान की गयी है। ओडिशा में खेल के विकास के लिए तथा बारबाटी स्टेडियम के विकास में यह निश्चित तौर पर उल्लेखनीय बटाना है। इसके चलते ओडिशा ओलंपिक संघ के सचिव अधिकारी पाल, ओडिशा कुटबॉल एवं किसके सचिव अधिकारी विवेक बोहेरा, ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव संजय बोहेरा एवं प्रभु शनिवार की शाम को आयोजित प्रक्रम के लिए जमीन को हर एक एकड़ के लिए 1 रुपये के हिसाब से फिर से लीज में दिया गया है।

ओडिशा ओलंपिक संघ को राज्य सरकार का तोहफा लीज पर दी बारबाटी स्टेडियम की जमीन

आजाद सिपाही संवाददाता

भुवनेश्वर। ओडिशा ओलंपिक संघ को फिर से बारबाटी स्टेडियम की जमीन को लीज में दी गयी है। इसके चलते स्टेडियम का विकास कार्य में अब विस्तृत भी आयेगा। इसके द्वारा लंबे 35 साल की प्रतीकाकारी अंत हुई है। राज्य सरकार कैबिनेट में बारबाटी स्टेडियम के कुल 20 एकड़ की जमीन को हर एक एकड़ के लिए 1 रुपये के हिसाब से फिर से लीज में दिया गया है।

ओलंपिक संघ को 40 साल के लिए जमीन मिली लीज पर : ओडिशा ओलंपिक संघ को 40 साल के लिए यह जमीन लीज में प्रदान की गयी है। ओडिशा में खेल के विकास के लिए तथा बारबाटी स्टेडियम के विकास में यह निश्चित तौर पर उल्लेखनीय बटाना है। इसके चलते ओडिशा ओलंपिक संघ की धन्यवाद अर्पण किया गया है।

साल 2023 में बारबाटी स्टेडियम का हुआ था शिलान्यास : बता दें कि राज्य सरकार ने विश्व अधिकारी विवेक बोहेरा को वर्ष 1950 में 1 रुपये के हिसाब से 20 एकड़ की जमीन को हर एक एकड़ में दी गयी थी। इसके चलते ओडिशा ओलंपिक संघ की धन्यवाद अर्पण किया गया है।

नवीकरण न होने के कारण वह लीज रह हो गयी थी। उन्हें यह नवीकरण नहीं किया गया था। ओडिशा ओलंपिक संघ की धन्यवाद अर्पण किया गया है।

साल 2023 में बारबाटी स्टेडियम का हुआ था शिलान्यास : बता दें कि राज्य सरकार ने विश्व अधिकारी विवेक बोहेरा को वर्ष 1950 में 1 रुपये के हिसाब से 20 एकड़ की जमीन को हर एक एकड़ में दी गयी थी। इसके चलते ओडिशा ओलंपिक संघ की धन्यवाद अर्पण किया गया है।

बारबाटी स्टेडियम के इतिहास को सुरक्षित रखते हुए उसे एक विश्व स्तरीय स्टेडियम में तब्दील करने के लिए धोषणा की थी और इस बीच राज्य सरकार की ओर से उसके लिए बार-बार प्रयास की जा रही थी, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। इसके चलते ओडिशा ओलंपिक संघ की धन्यवाद अर्पण किया गया है।

बारबाटी स्टेडियम के इतिहास को सुरक्षित रखते हुए उसे एक विश्व स्तरीय स्टेडियम में तब्दील करने के लिए धोषणा की थी और इस बीच राज्य सरकार की ओर से उसके लिए बार-बार प्रयास की जा रही थी, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। इसके चलते ओडिशा ओलंपिक संघ की धन्यवाद अर्पण किया गया है।

बारबाटी स्टेडियम के इतिहास को सुरक्षित रखते हुए उसे एक विश्व स्तरीय स्टेडियम में तब्दील करने के लिए धोषणा की थी और इस बीच राज्य सरकार की ओर से उसके लिए बार-बार प्रयास की जा रही थी, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। इसके चलते ओडिशा ओलंपिक संघ की धन्यवाद अर्पण किया गया है।

बारबाटी स्टेडियम के इतिहास को सुरक्षित रखते हुए उसे एक विश्व स्तरीय स्टेडियम में तब्दील करने के लिए धोषणा की थी और इस बीच राज्य सरकार की ओर से उसके लिए बार-बार प्रयास की जा रही थी, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। इसके चलते ओडिशा ओलंपिक संघ की धन्यवाद अर्पण किया गया है।

बारबाटी स्टेडियम के इतिहास को सुरक्षित रखते हुए उसे एक विश्व स्तरीय स्टेडियम में तब्दील करने के लिए धोषणा की थी और इस बीच राज्य सरकार की ओर से उसके लिए ब